बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 1201 (मो) /पटना, दिनांक– 02.12.14

कार्यालय आदेश

सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार अपने प्रमंडलाधीन कार्यरत लेखापाल में से एक को भंडारपाल नहीं रहने की स्थिति में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 285 के आलोक में उनके कार्य के अतिरिक्त भंडार का प्रभार दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

नियम 285 को नीचे उद्धृत किया जाता है:–

जब सामग्री का परिमाण इतना अधिक हो जाय कि उसे संभालने के लिए एक भंडारपाल रखना जरुरी हो तब उसका प्रभार ग्रहण करने के लिए किसी को भंडारपाल नियुक्त किया जाएगा। भंडारपाल को नकद् रकम के वितरण, सामग्रियों की आपूर्ति और बिलों की तैयारी के सम्बन्ध में कुछ भी न करना होगा। उसका कर्तव्य अपने प्रभाराधीन रखी सामग्रीयों की अभिरक्षा, परिरक्षण और निर्गम तथा तत्सम्बन्धी अपेक्षित विवरणियाँ रखने तक ही सीमित होगा। परंतु यह ध्यान दिलाया जाता है कि नियम 255 के तहत पूरे प्रमण्डल मे लोक– संपति की अभिरक्षा की उचित व्यवस्था की जिम्मेवारी प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता की है एवं नियम 265 के तहत प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता को वर्ष में कम से कम एक बार एवं नियम 266 के अंतर्गत अन्य सभी भंडारों का सत्यापन कराना जरुरी होगा।

(ह०) 2/12/14
सरकार के सचिव
(मिहिर कुमार सिंह)

पत्रांक– 1201 (मो) /पटना, दिनांक– 02.12.14

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ मुजफ्फरपुर/ भागलपुर एवं सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 2/12/14
सरकार के सचिव
(मिहिर कुमार सिंह)